तारीख हुक्म	दिलीप कुमार प्र. अर्जुनसिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2020/00252) प्रार्थना पत्र 03/2020	नम्बर अहकाम हुक्म में
04/8/2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1,2 के प.त. अधिवक्ता छोगालाल जाट अनुपस्थित। आवाज लगवाई गयी। अधिवक्ता छोगालाल जाट एवं विपक्षी संख्या 1,2 स्वयं उपस्थित नही हुए। सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद विपक्षी संख्या 1,2 के उपस्थित नही होने इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। बहस एकपक्षीय अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण ग्राम बोजुन्दा प.ह. सहनवा की आराजी संख्या 334 रकबा 0.58 हे. प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी मे आराजी सं. 336 रकबा 0.0800, 971/334 रकबा 0.0300 कुल 2 रकबा 0.1100 हे. प्रार्थी संख्या एक के खातेदारी मे तथा आराजी संख्या 335 रकबा 0.14 हे. प्रार्थी संख्या 3 एवं विपक्षी संख्या 1,2 के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। आराजी संख्या 335 रकबा 0.14 हे. की किस्म गै.मु. रास्ता है, जिसकी पत्थरगढी कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम बोजुन्दा प.ह. सहनवा स्थित आराजी संख्या 334 रकबा 0.58 हे. तथा आराजी संख्या 336 रकबा 0.0800, 971/334 रकबा 0.0300 हे. भूमि की बिना किसी के कब्जे मे दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढी शुल्क 1000.00 रुपए प्रार्थीगण वहन करेंगे। पत्रावली तहसीलदार चित्तौडगढ को लिखा जावे कि पक्षकारों को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में भिजवावे। निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

(हस्ताक्षर)

(राम कुमार बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चित्तौडगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by [illegible] Bishnoi
Date: 2021.08.06 [illegible]
Reason: SelfAttest[illegible]